मानवी हकां रो सार्वभौम ऐलान

प्रस्तावना

मिनखां री बिरादरी रे सगला सदस्यां में मौजूद गरिमा और बराबरी रे अविछेद हकां री मान्यता दुनिया में आजादी, न्याय और शांति रो आधार है।

मानवी हकां रे अनादर और नफरत रे कारण हुया क्रूर जुल्मा सूं मानवता री अंतरआत्मा माथे गेरी चोटां पड़ती रही है और एक एड़ी दुनिया बनावण री कोशिशां ने धक्के लागियो है जिणमें मिनखां ने बोलण री और मर्जीमुजब मत पर चालण री आजादी हुवेला, जठे वे डर और अभाव सूं मुक्त रेसी। ऐड़ी दुनिया जिकी आम लोगां री सबसूं मोटी आकांक्षा मानीजे।

जे आदमी ने जुल्मी हुकुमत और अत्याचारां रे खिलाफत रे आखिरी उपाय रे तौर बगावत माथे उतार होवण ने मजबूर नहीं करणो है तो आ जरुरी है कि कानून-कायदा सूं मानवी हकां री हिफाजत की जाणी चाइजे।

मुल्कां रे बीच में आपसी दोस्ती रे रिश्तां ने बढ़ावो दियो जाणो जरुरी है।

संयुक्त राष्ट्र रे घोषणा-पत्र में उणरे सदस्यां री प्रजा मूलभूत मानवी हक, मिनख री गरिमा और कीमत और समता लोग - लुगायां रा बराबरी रे हकां में आपरो विश्वास जतायो है। साथ ही आजादी समता हकां सामाजिक विकास और जिन्दगी रे स्तर ने ऊँचो उठावण रो पक्को संकल्प लियो है।

सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र रे सहयोग सूं मानवी हक और मूलभूत आजादी रे सार्वभौम आदर और उणरी पालना ने बढ़ावो देवण री प्रतिज्ञा की है।

इण प्रतिज्ञा ने आछीतरां सूं पूरी करण वास्ते इण हकां ने और आजादियां ने समझ बूझणो घणो जरुरी है।

ओलखाण

10 दिसम्बर 1948 ने संयुक्त राष्ट्र री महासभा मानवी हकां रे सार्वभोम पैलान ने मंजूर कर सिरे घोषणा की। आगला पानां में उणे पूरो ब्योरो दियो गयो है। इण महताऊ कारवाई रे बाद महासभा आपरा सगला सदस्य मुल्कां सूं अर्ज करी कि वे इण पैलान रे ब्योरे ने आछी तरै सूं परचारित करे। वा चायो कि इण ने खास तौर सूं स्कूलां और शिक्षा संस्थावां में पोंचायो जावे, उठे दिखायो जावे, पढ्यो जावे और आछी तरां सू समझायो जावे। इण काम में मुल्कां या इलाकां री राजनीतिक स्थिति रे आधार सूं किणी तरे रो भेदभाव नहीं बरतियो जावे।

सगला मिनखां ने जलम रे साथे बराबरी रा अविच्छेद्य हक और मूलभूत आजादियां मिलियोड़ी है।

संयुक्त राष्ट्र हर एक मिनख रे मानवी हकां री रक्षा कर इणाने बढ़ावो देणे रे वास्ते वचनबद्ध है। आ वचनबद्धता संयुक्त राष्ट्र रे उण घोषणा पत्र सूं जुड़ियोड़ी है जिणमें दुनियां रा मुल्क मिनख रे मूलभूत मानवी हक और मिनख री गरिमा और कीमत में आपरो विश्वास दोहरायो है। मानवी हकां रे सार्वभोम पैलान में संयुक्त राष्ट्र साफ और सीधे लफजां में उण हकां रो जिक्र कियो है जका हर मिनख ने बराबरी सूं मिलियोड़ा है।

- ए हक थाने मिलियोड़ा है।
- ऐ थारा हक है।

इणाने समझण री कोशिश करो। इणाने बढ़ावो दो और खुद रे वास्ते अर साथी मिनखां रे वास्ते वांरी रक्षा करो।

अबे इणीज वास्ते महासभा मानवी हकां रो ओ सार्वभौम ऐलान कर रही है।

सगली जनता और सगला मुल्कां रे वास्ते एक जेड़ो लक्ष्य हासिल करण तांई इण ऐलान ने ध्यान में राख हरेक व्यक्ति और समाज रो हरेक अंग पढ़ाई-लिखाई और शिक्षा सूं इण हकां और आजादियां रो आदर करण री भावना पैदा करण री कोसिस करेला। लगातार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपायां सूं इण री सार्वभौम और कारगर मानता हासिल करेला। इण रे साथे ही खुद सदस्य देशों री जनता और उण रे अधिकार क्षेत्र में आवण वाला इलाकां री प्रजा में इण री पालणा रो प्रयास करसी।

अनुच्छेद-1

सगला मिनख जलम सूं गरिमा और हकां री बराबरी रे साथे आजाद पैदा हुवे। वे विवेक और अंतर-आत्मा री शक्ति सूं संपन्न हुवे।

अनुच्छेद-2

हर एक ने इण ऐलान में केह्योड़ा सारा हकां और आजादियां माथे पूरो अधिकार है। इण में नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या दूजी विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जलम या कोई और दर्जे जेड़ी बातां रे आधार सूं किणी किस्म रो भेदभाव नहीं किये जा सके।

इण सूं भी आगे व्यक्ति जठे रो रेवासी है उण मुल्क या इलाके री राजनीतिक स्थिति, अधिकार क्षेत्र या उण रे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे रे आधार सूं व्यक्ति रे साथे कोई भेदभाव नहीं बरतियो जासी। भलई वो मुल्क या इलाको आजाद हो, ट्रस्ट संभाल रियो हो, सुवरे शासन बिना चल रियो हो, या जिण री प्रभुसत्ता किणी तरे सूं सीमित है।

अनुच्छेद-3

हर व्यक्ति रे जीवण रो, आजादी रो और सुरक्षा रो हक है।

अनुच्छेद-4

किणी भी व्यक्ति ने गुलाम या चाकर बणा र नहीं राखियो जासी। गुलामी री केड़ी भी तिजारत माथे प्रतिबंध रेसी।

अनुच्छेद-5

किणई भी यंत्रणा नई दी जावेला या उण रे साथे क्रूर अमानवीचारे सूं हीन या नीचे गिरावण वालो बरताव नहीं कियो जावेला, ना ही ऐड़ी सजा दी जावेला।

अनुच्छेद-6

हर एक व्यक्ति ने कठई भी कानून रे सामे एक व्यक्ति रे रूप में मानता मिलण रो हक है।

अनुच्छेद-7

कानून रे सामे सब बराबर है और हर एक ने बिना भेदभाव रे कानून सूं एक जेड़ी सुरक्षा हासिल करण रो हक है। हर एक ने इण ऐलान रो उल्लंघन कर भेदभाव बरतणे और ऐड़े भेदभाव ने बढ़ावो दिये जाणे रे खिलाफ एक जेड़ी सुरक्षा रो हक है।

अनुच्छेद-8

हर एक व्यक्ति ने संविधान या कानून सूं मिलियोड़ा हकां रे उल्लंघन री हालत में सक्षम राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल सूं कारगर मदद हासिल करण रो हक है।

अनुच्छेद-9

किणीने भी मनमाने तरीके सूं ना तो गिरफ्तार किये जावेला, ना नजरबंद किये जावेला और ना ही निष्कासित किये जावेला।

अनुच्छेद-10

हर एक ने उण रा हक और जिम्मेवारियां और उण रे खिलाफ कोई भी फौजदारी इलजाम तय करण री बाबत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रिब्यूनल में बराबरी रे साथे बिना भेदभाव रे जन-सुणवाई रो हक है।

अनुच्छेद-11

1· हर उण व्यक्ति ने जिणरे माथे सजा-काबिल जुर्म रो इलजाम है कानून रे मुताबिक अदालत में जुर्म रे साबित होवण तक खुद ने बेकसूर समझण रो हक है। ऐढ़ी अदालत में उण ने खुद रे बचाव रा पूरे मोका मिलणो चाइजे।

2· अगर कोई व्यक्ति कोई ऐढ़ी भूल की है जिकी उण बगत रा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूना में सजा काबिल जुर्म में नईं गिणीजती तो उण ने बाद में इण भूल रे वास्ते दोषी नहीं ठहरायो जा सके। ऐढ़ी भूल रे वास्ते बाद में भारी जुर्मानो नहीं लगायो जा सके। बो इज जुर्मानो लागसी जिको भूल करण री बगत लागू हो।

अनुच्छेद-12

किणी भी व्यक्ति री खानगी जिन्दगी, परिवार, घर या पत्राचार में किणी किसम री मनमानी दखलंदाजी नईं की जासी। न ही उण री इज्जत या साख माथे मनमानो हमलो होसी। हर एक ने ऐड़ी दखलंदाजी या हमलां रे खिलाफ कानूनी सुरक्षा हासिल करण रो हक है।

अनुच्छेद-13

1. हर एक ने आवण-जावण रो और आपरे देश री सीमा रे मांयने कठेई भी रेवणो रो हक है।

2. हर एक ने आपरे देश सहित किणी भी मुलक ने छोड़ र जावण रो और आपरे देश में पलटने पाछो आवण रो हक है।

अनुच्छेद-14

1. हर एक ने जुल्म सूं बचण खातिर दूजा देशां में शरण मांगण रो और उठे रेवण रो हक है।

2. लेकिन ओ हक ऐड़े मामलां में नहीं मांगियो जा सके जठे गैर राजनैतिक अपराधां ने रोकण खातिर या संयुक्त राष्ट्र रे मकसद और उसूलां सूं उलटी कार्रवाइयां रे खिलाफ सख्ती बरतणी पड़े।

अनुच्छेद-15

1. हर एक ने राष्ट्रीयता रो हक है।

2. किणई भी मनमाने तरीके सूं उण री राष्ट्रीयता सूं वंचित नहीं कियो जासी और आपरी राष्ट्रीयता बदलण रे हक रे इस्तेमाल सूं नहीं रोकियो जासी।

अनुच्छेद-16

1. बालिग मर्द और ओरतां ने नस्ल, राष्ट्रीयता या धरम रे बंधनां रे बिना ब्यांवकरण री और परिवार बसावण री हक है। ब्याने ब्यांव करण रा, ब्यांव रे दौरान और उणने खत्म करण रा बराबरी रा हक है।

2. ब्यांव रे इरादे वाला पति-पत्नी री पूरी रजामंदी रे बाद इज ब्यांव पूरो हुवेला।

3. कुनबो समाज री एक स्वाभाविक और बुनियादी इकाई है और उण ने समाज और राज्य सूं सुरक्षा हासिल करण री अधिकार है।

अनुच्छेद-17

1. हरेक ने एकलो या दूजां रे सागे मिल ने जायदाद रो मालिक बणण रो हक है।

2. किणीई भी मनमाने तरीके सूं उण री जायदाद सूं बेदखल नहीं कियो जा सके।

अनुच्छेद-18

हरेक ने विचारां री, अंतरआत्मा री और धरम री आजादी रो हक है। इण में सुदरे धरम या मतामत ने बदलण री आजादी शामिल है। साथे ही एकला या समाज में औरां रे सागे, मिलण जुलण री आजादी और सब रे सामें या खानगी तौर सूं पढ़ाई-लिखाई, व्यवहार, पूजा-पाठ और मानण रे तौर तरीका में सुदरे धरम और आस्था ने जाहिर करण री भी आजादी है।

अनुच्छेद-19

हरेक ने खुद री राय राखण री और बिनने व्यक्त करण री आजादी रो हक है। इण में बिना दखलंदाजी रे निजी राय राखण री और किणी भी जन प्रचार रे माध्यम रे जरिये सूचनावां और विचारां ने प्राप्त करण री उणने प्रचारित करण री आजादी शामिल है। इणमें मुल्कां री सीमावां बाधा नहीं बणसी।

अनुच्छेद-20

1. हर एक ने शांति रे साथे इकठ्ठा हुवण री और संघ बणावण री आजादी रो हक है।
2. लेकिन किणेई भी जोर मर्जी सूं किणी संघ में शामिल नहीं कियो जा सके।

अनुच्छेद-21

1. हर एक ने सीधे या स्वतंत्रता सूं चुणीजियोड़े नुमाइन्दे रे माध्यम सूं आपरे देश री सरकार में हिस्सो लेवण रो हक है।
2. हर एक ने आपरे देश री आम लोगां रे वास्ते चलाई जाण वाली सेवाओं रे मिलण री बराबरी रो हक है।
3. लोगां री इच्छा सरकार रे अधिकार रो आधार होसी। आ इच्छा टेम टेम सूं ईमानदारी सूं करायण जावण वाले चुणावों रे जरिये व्यक्त होसी। इण चुणावां में हर एक ने आपरो मत देवण री बराबरी रो हक हूवेला। ऐ चुणाव गुप्त मतदान सूं या बेड़े ही कोई और स्वतंत्र मतदान रे तरीके सूं हूवेला।

अनुच्छेद-22

हर व्यक्ति ने समाज रो सदस्य हुवण रे नाते सामाजिक सुरक्षा रो हक है। उण ने राष्ट्रीय कोसिस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सूं आपरे देश रे संगठन और साधनां रे मुताबिक आपरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हकां ने हासिल करण रो अधिकार है। ऐ हक उण री गरिमा और व्यक्तित्व रे स्वतंत्र विकास रे वास्ते लाजमी है।

अनुच्छेद-23

1. हर एक ने काम रो, मरजी सूं रोजगार चुनवा रो, कामरे उचित और माफूल हालात रो और बेरोजगारी रे खिलाफ सुरक्षा हासिल करण रो हक है।
2. हर एक ने बिना किसी भेदभाव रे एक सरीके काम रे वास्ते एक जैड़ी तनखा लेवण रो हक है।
3. काम करण वाले हर व्यक्ति ने आपरे काम रे वास्ते उचित और वाजिब मेहनताने रो हक है, जिणसूं वो इज्जत रे साथे खुद रो और कुटुंब रो जीवन निर्वाह कर सके। अगर जरूरी हुवे तो इण खर्चे री कमी-बेसी ने वो सामाजिक सुरक्षा रे दूजा उपायां सूं पूरी कर सके।
4. हर एक ने आपरे हितां री रक्षा रे वास्ते मजदूर यूनियन बणावण रो और विण में शामिल होवण रो हक है।

अनुच्छेद-24

हर एक ने आराम करण रो और फुरसत रो हक है। इण में कामरे टेम ने उचित तौर सूं सीमित राखणो और टेम टेम सूं तनखा रे साथे छुट्टी शामिल है।

अनुच्छेद-25

1· हर एक ने एक ऐड़े समुचित जीवन स्तर रो हक है जिको उणरे खुद रे और उण रे कुटुंब री भलाई और स्वास्थ्य रे वास्ते जरूरी है। इणमें रोटी, कपड़ो, मकान, हारी-बीमारी में देखभाल और जरूरी सामाजिक सेवावां शामिल है। इण रे अलावा बेकारी, बीमारी, अपाहिजी रैवणे और बुढ़ापे में और परवसता में जीविका रे अभाव में हर एक ने सुरक्षा रो हक है।

2· माँ-बच्चों और टाबरपणे खास देखभाल और मदद रा हकदार है। सगला टाबरां ने, भले ही वे ब्यांव सूं जलमियोड़ा हो या ब्यांव रे बिना जलमियोड़ा हो एक जेड़ी सामाजिक सुरक्षा मिलसी।

अनुच्छेद-26

1· हर एक ने शिक्षा रो हक है। शिक्षा मुफ्त मिलेला, कम सूं कम शुरूआती बुनियादी शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होसी। आम तौर सूं टेक्नीकल और पेशेवर काम-काजरी शिक्षा उपलब्ध होसी और इणी तरै सूं सबां ने योग्यता रे आधार सूं उच्च शिक्षा री सुविधा मिलेला।

2· शिक्षा रो मकसद मानवी व्यक्तित्व रो संपूर्ण विकास करणो होसी। साथ ही शिक्षा मानवी हकां और मूलभूत आजादियां रे वास्ते आदर री भावना ने मजबूत करेला। शिक्षा सगला मुल्कां और नस्लां या धार्मिक समुदायां रे बीच आपसी समझ सहिष्णुता और दोस्ती ने बढ़ावो देसी। इण सागे ही या शांति बणाए राखण रे वास्ते संयुक्त राष्ट्र रे कामकाजां ने आगे बढ़ावेला।

3· माँ बाप ने पैली सूं ओ तय करण रो हक हुवेला कि वांरे टाबर-टूबरां रे वास्ते किसी शिक्षा चोखी रैसी।

अनुच्छेद-27

1· हर एक ने आपरे समुदाय री सांस्कृतिक गतिविधियाँ में बिना किणी बाधा रे हिस्सो लेवण रो हक है। साथ ही उण ने कलावाँ रो आनन्द उठावण रो और वैज्ञानिक तरक्की में शामिल हुर उणरे लाभां सूं फायदो उठाणे रो भी हक है।

2· हर व्यक्ति ने खुद री वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उपलब्धियां सूं मिलण वाले नैतिक और दूजा फायदां ने सुरक्षित राखण रो हक है।

अनुच्छेद-28

हर एक ने एक ऐड़ी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था रो अधिकार है जिणमें इण ऐलान में बियोड़ा हक और आजादियाँ पूरी तरह सूं हासिल की जा सके।

अनुच्छेद-29

1· हर व्यक्ति रा समुदाय रे वास्ते कर्तव्य है क्यूंकि केवल उण में इज उण रे व्यक्तित्व रो स्वतंत्र और संपूर्ण विकास हू सके।

2· व्यक्ति खास खुदरे हकाँ और आजादियाँ रे इस्तेमाल में वे इज पाबंदियां लगाई जा सकेला जिकी कानून तय करेला और जिण रो एकमात्र मकसद दूजां रे हकाँ और आजादियाँ री खातिर उचित मानता और आदर हासिल करणो है। जिणसूं कि एक प्रजातांत्रिक समाज री नैतिकता, जन व्यवस्था और जन कल्याण री उचित जरूरतां पूरी की जा सके।

3· इन हकाँ और आजादियाँ रो इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र रे उद्देश्यां और सिद्धान्तां रे बर खिलाफ नहीं कियो जाणो चाइजे।

अनुच्छेद-30

इण ऐलान री ऐड़ी कोई व्याख्या नहीं की जाणी चाइजे जिणसूं कोई मुल्क, समुदाय या व्यक्ति ऐड़े कोई भी काम में शामिल हुवणो या ऐड़ी कोई भी कार्रवाई करणो आपरो अधिकार मान ले जिण रो मकसद अठे बतायोड़े किणी भी हक या आजादी ने खतम करणो है।